भारत में ओपन जेलें

प्रलिम्सि के लयि:

[ओपन जेलें](), [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](), [राष्ट्रीय मानवाधकिार आयोग](), **भारत में जेलों के प्रकार**

मेन्स के लयि:

ओपन जेल की अवधारणा और वशिषताएँ, जेल में भीड़भाड़ पर खुली जेलों का प्रभाव, भारतीय जेलें और संबंधति मुद्दे।

[स्रोत: द हिंदू]()

चर्चा में क्यों?

[भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC)]() ने हाल ही में कई राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों (Union Territories- UT) को अपने अधकिार क्षेत्र में ओपन जेलों की कार्यप्रणाली के संबंध में व्यापक वविरण उपलब्ध कराने का नरि्देश दयिा है।

- यह नरि्देश [जेलों में भीड़भाड़]() के बारे में जारी चतिाओं को ध्यान में रखते हुए आया है, जसि मामले ने न्यायालय का ध्यान आकर्षति कयिा है।

सर्वोच्च न्यायालय ओपन जेलों पर क्यों ध्यान केंद्रति कर रहा है?

- **जेलों में अत्यधकि भीड़:** सर्वोच्च न्यायालय पारंपरकि जेलों में अत्यधकि भीड़ की **दीर्घकालकि समस्या के समाधान के लयि ओपन जेलों को एक संभावति समाधान** के रूप में देखता है।
    - इस अवधारणा का उद्देश्य **मनोवैज्ञानकि तनाव को कम करना** है, जसिका सामना दोषयिों को कारावास के बाद सामान्य जीवन में पुनः शामलि होने के दौरान करना पड़ता है।
    - कुछ कैदयिों को खुली हवा वाली सुवधिाओं में स्थानांतरति करने से उच्च सुरक्षा वाली, बंद जेलों में कुल आबादी कम हो जाती है **क़ैदयिों का यह पुनर्वतिरण पारंपरकि जेलों पर दबाव को कम करता है, जहाँ अक्सर अत्यधकि भीड़भाड़ होती** है।
- **अनुपालन सुनश्चिति करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमकिा:** ओपन जेलों के कार्यप्रणाली पर व्यापक जानकारी की आवश्यकता पर बल देकर, **सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य यह सुनश्चिति करना है कि राज्य और केंद्रशासति प्रदेश अपने सुधारात्मक प्रणालयिों के हसि्से के रूप में इस मॉडल को सक्रयि रूप से लागू** कर रहे हैं।
    - न्यायालय का ध्यान कैदयिों के अधकिारों के संरक्षण की देख-रेख करने तथा अधकि प्रभावी जेल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उसके व्यापक अधदिेश को भी दर्शाता है।

ओपन जेलें क्या हैं?

- सेमी-ओपन या ओपन जेलें सुधारात्मक सुवधिाएँ हैं, जनि्हें पारंपरकि ऊँची दीवारों, काँटेदार तारों और सशस्त्र गार्डों के बनिा बनाया गया है। पारंपरकि बंद जेलों के वपिरीत ये जेलें **कैदयिों के आत्म-अनुशासन और सामुदायकि सहभागति पर आधारति होती हैं। न्याय के सुधारात्मक सद्धिांत** पर आधारति ओपन जेलें, **कैदयिों को केवल दंडति करने के अतरिकि्त उनके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रति** करती हैं। यह दृष्टकिोण आत्म-अनुशासन और सामुदायकि एकीकरण के माध्यम से **कैदयिों को कानून का पालन करने वाले नागरकिों में परवर्तति करने पर ज़ोर देता है**।
- **ऐतहिासकि संदर्भ:** भारत में पहली ओपन जेल वर्ष **1905 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी में स्थापति की गई** थी, जसिमें शुरू में कैदयिों को सार्वजनकि कार्यों के लयि अवैतनकि श्रमकि के रूप में इस्तेमाल कयिा जाता था।
    - समय के साथ यह अवधारणा वकिसति हुई, जसिमें **नविारण से ज़्यादा सुधार पर ज़ोर** दयिा गया। आज़ादी के बाद **वर्ष 1949 में लखनऊ में पहली ओपन जेल एनेक्सी स्थापति** की गई, जसिके बाद वर्ष 1953 में एक पूर्ण सुवधिा वाली जेल बनाई गई, जहाँ कैदयिों ने चंद्रप्रभा बाँध बनाने में मदद की।
    - स्वतंत्रता के बाद जेलों की अमानवीय स्थतियिों के संबंध में **संवैधानकि न्यायालय के फैसलों ने जेल प्रबंधन में बदलाव को प्रेरति कयिा तथा सुधार और पुनर्वास** पर ज़ोर दयिा।

- न्यायालयों ने **राज्यों से उचित वेतन सुनिश्चित करने और पुनः एकीकरण का समर्थन** करने का आग्रह किया, जिसके **परिणामस्वरूप सुधारात्मक दृष्टिकोण के रूप में ओपन जेलों** का उदय हुआ।

- **विशिषताएँ:** कैदियों को कुछ घंटों के दौरान **जेल से बाहर जाने की स्वतंत्रता होती** है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे काम के माध्यम से अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करेंगे।
  - **राजस्थान ओपन एयर कैंप नियम, 1972** में ओपन जेलों को **"बिना दीवारों, सलाखों और तालों वाली जेल"** के रूप में परिभाषित किया गया है। कैदियों को जेल से बाहर निकलने के बाद दूसरी हाजिरी से पहले लौटना होता है।
- **ओपन जेलों के प्रकार:** मॉडल जेल मैनुअल भारत में ओपन जेल संस्थाओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत करता है:
  - **सेमी-ओपन प्रशिक्षण संस्थान:** ये संस्थान **मध्यम सुरक्षा के साथ बंद जेलों से जुड़े होते** हैं।
  - **ओपन प्रशिक्षण संस्थान/कार्य शिविर:** सार्वजनिक कार्यों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **ओपन कॉलोनियाँ:** परिवार के सदस्यों को रोज़गार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करते हुए कैदियों के साथ रहने की अनुमति देती हैं।
- **पात्रता:** प्रत्येक राज्य का कानून उन कैदियों की पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है, जिन्हें ओपन जेल में रखा जा सकता है।
  - मुख्य नियम यह है कि **खुली हवा वाली जेल के लिये पात्र कैदी को दोषी करार दिया जाना चाहिये। जेल में अच्छा आचरण और नियंत्रित जेल में कम-से-कम पाँच वर्ष** गुजारना राजस्थान की ओपन जेलों के नियमों का पालन करता है।
  - पश्चिम बंगाल में **जेल और पुलिस अधिकारियों की एक समिति अच्छे आचरण वाले कैदियों का चयन करती** है, ताकि उन्हें ओपन जेलों में स्थानांतरित किया जा सके।
- **कानूनी ढाँचा:** जेलों और कैदियों का उल्लेख **भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची** की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 4 में किया गया है। अतः यह राज्य का विषय है।
  - भारत में जेलों का **संचालन कारागार अधिनियम, 1894** और **बंदी अधिनियम, 1900** द्वारा होता है तथा **प्रत्येक राज्य अपने जेल नियमों और नियमावलियों का पालन** करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:** ओपन जेलें सदियों से वैश्विक सुधार व्यवस्था का हिस्सा रही हैं। शुरुआती उदाहरणों में **स्विट्ज़रलैंड का विट्ज़विल (1891) और यूके का न्यू हॉल कैंप (1936) शामिल** हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र **महासभा** के नेल्सन मंडेला नियम 2015 पुनर्वास में सहायता के लिये ओपन जेल प्रणाली का समर्थन करते हैं, तथा कैदियों के रोज़गार और बाहरी संपर्क के अधिकार पर ज़ोर देते हैं।
- **संस्तुतियाँ:** सर्वोच्च न्यायालय ने **1996 में राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य मामले** में ओपन जेलों के विस्तार का समर्थन किया था। **1980 में अखिल भारतीय जेल सुधार समिति** सहित विभिन्न समितियों ने राज्यों में ओपन जेलों की स्थापना की संस्तुति की है।
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **(National Human Rights Commission- NHRC)** ने वर्ष 1994-95 और 2000-01 की अपनी कई वार्षिक रिपोर्टों में ओपन जेलों की आवश्यकता तथा जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के लिये इनके उपयोग का समर्थन किया था।

ओपन जेलों के क्या लाभ और हानि हैं?

श्रेणी	लाभ	हानि
लागत दक्षता	▪ बंद जेलों की तुलना में ओपन जेलों में **परिचालन लागत** में काफी कमी आती है।	▪ ओपन जेलों में **आधुनिकीकरण की कमी है और धन अपर्याप्त है।**
अधिक भीड़भाड़	▪ बंद जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में सहायता करता है।	▪ जागरूकता और स्वीकार्यता की कमी के कारण मौजूदा **ओपन जेलों का कम उपयोग।**
मनोवैज्ञानिक प्रभाव	▪ कैदियों के **मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य** में सुधार होता है।	▪ कुछ कैदी **ओपन जेल के माहौल पर निर्भर हो जाते हैं** और अपनी सजा पूरी करने के बाद भी अपने परिसर को खाली करने का विरोध करते हैं।
नियुक्तिकरण	▪ बंद जेलों की तुलना में ओपन जेलों में 90% कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है।	▪ बंद जेलों में स्टाफ की कमी के कारण ओपन जेलों में **स्टाफ की पुनः तैनाती करना** कठिन हो जाता है।
पुनर्वास	▪ सुधारात्मक दंड और समाज में सफल एकीकरण को बढ़ावा देता है।	▪ **आधुनिक कानूनों और पुराने विधान** (कैदी अधिनियम, 1894) की कमी तथा कई ओपन जेलों में विचाराधीन कैदियों के लिये कोई प्रावधान नहीं है। चूँकि जेल राज्य का विषय है, इसलिये ओपन जेलों के लिये **नियमों तथा दिशानिर्देशों में एकरूपता का अभाव है।**
पुनरावृत्ति	▪ पुनरावृत्ति की कम संभावना।	▪ कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह पुनरावृत्ति को महत्त्वपूर्ण रूप से नहीं रोकता है।
रोज़गार	▪ कैदियों को रोज़गार खोजने के लिये प्रोत्साहित करता है।	▪ कई ओपन जेलों के दूरदराज के स्थानों के कारण स्थानीय रोज़गार खोजने में कठिनाई होती है।

सामाजकिकरण	▪ बाह्य वशि्व के साथ सामाजकीकरण और अंतःक्रयिा को बढ़ाता है।	▪ कई राज्यों में महलिा कैदयिों के लयि कोई ओपन जेल नहीं है।
सुधारात्मक क्षमता	▪ नैतकि वकिास और सहकारी जीवन पर ध्यान केंद्रति करने वाले **गांधीवादी आश्रमों** की याद दलािता है।	▪ कैदयिों के लयि चयन प्रक्रयिा कभी-कभी अपारदर्शी होती है, जसिसे **पक्षपात और भ्रष्टाचार** के आरोप लगते हैं।
सामुदायकि प्रभाव	▪ यह सभी प्रतभिागयिों के लयि लाभकारी है जसिमें अपराध के पीड़ति भी शामलि हैं जो अपराधयिों में सुधार होते हुए देखते हैं।	▪ सुरक्षा और अनुशासन संबंधी चुनौतयिाँ अभी भी मौजूद हो सकती हैं तथा कुछ लोग इस प्रणाली को बहुत उदार मानते हैं।

भारत में अन्य प्रकार की जेलें

- भारत में **जेलों के तीन स्तर** हैं: **तालुका, ज़लिा और केंद्रीय (क्षेत्रीय/रेंज) स्तर।** इन स्तरों पर स्थति जेलों को क्रमशः **उप-जेल, ज़लिा जेल और केंद्रीय जेल** के रूप में जाना जाता है।
    - अन्य प्रकार की जेलें भी हैं जैसे महलिा जेल, बोर्स्टल स्कूल और वशिष जेलें।
- **केंद्रीय जेल:** केंद्रीय जेलों के लयि मानदंड वभिन्नि राज्यों में अलग-अलग हैं, लेकनि उनमें सामान्यतः लंबी अवधकि कारावास की सजा पाए कैदयिों को रखा जाता है, जनिमें अक्सर दो वर्ष से अधकि की सजा वाले कैदी शामलि हैं, जनिमें आजीवन कारावास की सजा वाले कैदी और जघन्य अपराध करने वाले कैदी भी शामलि हैं।
    - इन जेलों में कैदयिों की नैतकिता और नष्ठिा को पुनः स्थापति करने पर ध्यान केंद्रति कयिा जाता है।
- **ज़लिा जेल:** ज़लिा जेल उन राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के लयि मुख्य जेल हैं, जहाँ कोई केंद्रीय जेल नहीं है।
- **उप जेल:** ज़लिा जेलों से छोटी, उप-मंडल स्तर पर अच्छी तरह से संगठति और बेहतर ढंग से स्थापति जेलें।
- **वशिष जेल:** ये जेल **अत्यधकि सुरक्षा वाली जेलें** हैं, जनिमें **आतंकवाद, हसिक अपराध, आदतन अपराधी** और जेल अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के दोषी वशिष वर्ग के कैदयिों के लयि वशिष व्यवस्थाएँ हैं। ये जेलें हसिक और आक्रामक कैदयिों को रखने के लयि जानी जाती हैं।
- **महलिा जेल:** ये जेलें वशिष रूप से महलिा कैदयिों के लयि, उनकी सुरक्षा सुनश्चिति करने हेतु स्थापति की गई हैं और इनमें महलिा कर्मचारी होती हैं। **राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के जेल सांख्यकिी, 2022** के अनुसार भारत की **1,330 जेलों में से केवल 34 को महलिा जेल** के रूप में नामति कयिा गया है।
    - **सीमति क्षमता के कारण कई महलिा कैदयिों को अन्य प्रकार की जेलों में रखा जाता है।**
- **बोर्स्टल स्कूल:** यह एक प्रकार का **युवा नरिोध केंद्र** है। इसका उपयोग वशिष रूप से **नाबालगिों या कशिोरों** को रखने के लयि कयिा जाता है।
    - इन वद्यिालयों का प्राथमकि उद्देश्य **युवा अपराधयिों की देखभाल, कल्याण और पुनर्वास** सुनश्चिति करना है, जो बच्चों के लयि उपयुक्त वातावरण में हो तथा उन्हें जेल के संक्रामक वातावरण से दूर रखे।
- **अन्य जेल:** जो जेलें ऊपर बताई गई श्रेणयिों में नहीं आती हैं, वे अन्य जेलों की श्रेणी में आती हैं। केवल तीन राज्यों में अन्य जेल हैं।
    - इन राज्यों के नाम **करनाटक, केरल और महाराष्ट्र** हैं तथा प्रत्येक राज्य में एक अन्य जेल है।

??????? ?????? ???????:

प्रश्न. भारतीय जेल प्रणाली में ओपन जेलों की भूमकिा पर चर्चा कीजयि। वे जेलों में भीड़भाड़ और कैदयिों के पुनर्वास के मुद्दों को कैसे संबोधति करती हैं?

UPSC सवििल सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????:

प्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपतकि वलिंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डनियािल) के रूप में लोक वाद-ववािद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपत द्वारा ऐसी याचकिाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लयि एक समय सीमा का वशिष रूप से उल्लेख कयिा जाना चाहयि? वश्लिेषण कीजयि। (2014)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/open-prisons-in-india